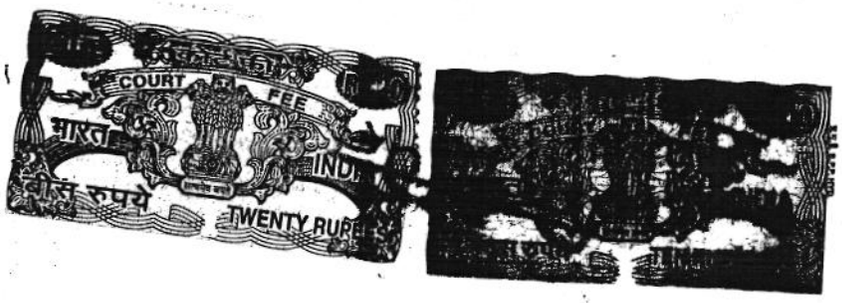

550

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी, रा0 म0 ग्वालियर,
प्रकरण कं.0 /17 निगरानी
PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2017/3323

शंकरलाल पिता भागीरथजी जाति बाह्मण, आयु 49 वर्ष
निवासी ग्राम नाहरखेडी तह0 बडनगर जिला उज्जैन

---आवेदकग

विरूद्ध

ममता पति कमलकिशोर जाति बाह्मण, पुत्री लक्ष्मीनारारयण आयु 31 वर्ष,
निवासी गणेशपूरा, ताजपुर तहसील व जिला उज्जैन

--अनावेदक

निगरानी आवेदन धारा 50 भू0 रा0 सं0

न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय,टप्पा इंगोरिया तहसील बडनगर द्वारा प0 कं0 4–अ–6/2015–16 मे पारित आदेश दिनांक 31/08/2017 से असंतुष्ट एंव क्षुब्ध होकर निगरानी ।

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, अनावेदक ममता द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 109, 110 भू0रा0सं0 का नामांत्रण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया उक्त प्रकरण मे आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे जितेन्द्र के नाम दर्ज होकर जितेन्द्र का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर है । उक्त भूमि के संबंध मे एक सिविल वाद प्रकरण कं0 4ए/17 पर न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग–1, बडनगर के न्यायालय मे विचाराधीन है । तथा एक विविध अपील प्रकरण कं0 43/17 विविध अपील, न्यायालय अपर जिला जज महोदय, बडनगर के न्यायालय मे विचाराधीन है । इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे आवेदक के स्वत्व निहित होकर स्वत्व के प्रश्न पर सिविल न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन होने से आवेदक ने नायब तहसीलदार महोदय टप्पा इंगोरिया के समक्ष एक आवेदन धारा 32 भू0रा0सं के तहत प्रस्तुत किया तथा सिविल न्यायालय के प्रकरण के अंतिम निराकरण तक उक्त प्रकरण को स्थगित किये जाने की सहायता चाही परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के आवेदन पर सुनवाई किये बिना ही दिनांक 31/08/2017 को आवेदक का आवेदन निरस्त कर हुवे वादग्रस्त आदेश पारित कर दिया उक्त वादग्रस्त आदेश दिनांक 31/08/2017 का

XXIX(a)-BR(H)-11

556

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/5323

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	